# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

प्रकरण अपील सं0 18/2015 दायर दिनांक 24/03/2015

1– देवीलाल पुत्र श्री बुधराम जाति कुम्हार साकिन 5 एस एच पी डी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

2– दलीप कुमार पुत्र श्री लिछमणराम जाति जाट साकिन 5 एस एच पी डी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.....प्रार्थीगण

**बनाम्**

1– ओमप्रकाश पुत्र श्री भैराराम (फौत)

1/1– रविन्द्र पुत्र श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री भैराराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी वार्डन0 18, कस्बा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

1/2– सुरेन्द्र पुत्र श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री भैराराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी वार्डन0 18, कस्बा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

1/3– मन्जू पुत्री श्री ओमप्रकाश पत्नी श्री शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी संगरिया तहसील सगंरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान।

2– तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11–14 राज0उप0नि0अधि0 1954 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 तथा सपठित धारा 16 राज0का0अधि0 1955

उपस्थित

1–श्री बाबूलाल चांडक अभिभाषक प्रार्थीगण।

2–श्री ज्योति प्रकाश ठाकराणी, राजवीर भादू अप्रार्थी न0 1/2

2–पैरोकार राज

–निर्णय– निर्णय दिनांक 23.03.2022

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण प्रार्थीगण/अप्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी ओमप्रकाश ने दिनांक 05/03/1994 को स्माल पेच आवंटन हेतू प्रार्थना पत्र भैराराम पुत्र श्री रामचन्द्र ब्राहम्ण के नाम से पेश किया था। प्रार्थना पत्र की पुष्ट में जो शपथ–पत्र पेश किया है व स्प्टतः आवंटन नियमों के प्रावधानों से बाहर जाकर एवं विधि विरूद्ध प्रस्तुत हुआ होने के कारण मूलतः अवैध प्रार्थना पत्र की क्षेणी में आता है आवंटन नियमों में मार्फत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का कोई प्रावधान नही होने से आवंटन दिनांक 22/12/1997 प्रथम दिन से अवैध एवं शुन्य आवंटन है। वाके चक 5 एस0एच0पी0डी0 बी में स्थित प0न0 72/341 कि0न0 21–22 की 2 बीघा भूमि गैर मुमकिन जोहड पायतन हेतु आरक्षित भुमि थी। तहसील की रिपोर्ट में भी उक्त रकबा गैर मुमकिन जोहड पायतन दर्शाया हुआ था। तत्कालिन आवंटन अधिकारी को भी ऐसे रकबों को आंवटन करने के कोई अधिकार प्रदत नही थे। जोहड पायतन रकबा के सम्बन्ध में राजस्थान भू0 राजस्व अधि0 धारा 88 में प्रदत प्रावधान के मुताबिक जोहड पायतन का गैर मुमकिन रकबा किसी अन्य व्यक्ति को आवंटन योग्य नही होता है ऐसा रकबा वर्षा जल के भराव, भंण्डारण तथा उपयोग मे आने के लिए राज्य सरकार की तरफ से आरक्षित रकबा है। इस संम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने सिविल याचिका संख्या 1536/2008 अनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिनांक 02/08/2014 का निर्णय इस प्रकरण पर पुर्णतय लागू होता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

2 पर लगातार

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सिविल अपील संख्या 1132/2011 जगपालसिंह बनाम पंजाब राज्य मे भी दिनांक 28/01/2011 को इस प्रकार के आदेश प्रदान किये हुये है। चक 5 एस0एच0पी0डी0 बी प0न0 72/341 किला न0 23 की बाबत् भी तहसील की रिर्पोट के अनुसार गैरजीराज बतलाया हुआ है परन्तु आवंटन अधिकारी ने उक्त किला को अपने निर्णय में पुर्व आवंटन होना बताया है वह अपने आप में विरोधाभाषी है। इस प्रकार नियम विरूद्ध आवंटन को निरस्त फरमाया जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी न0 1 के नाम जैरवाद रकबा चक 5 एस0एच0पी0डी0 बी प0न0 71/341 किला न0 21–22 पर स्थगन आदेश जारी किया गया। अप्रार्थीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी न0 1 के फौत होने के कारण उनके जायज वारिसान को पक्षकार प्रार्थना पत्र बनाया जाकर संशोधित शीर्षक पेश हुआ। अप्रार्थीन0 1/1 से 1/3 को जरीये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी न0 1/2 की तरफ से जरीये अभिभाषकगण हाजिर आये। अप्रार्थी न0 1/2ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी न0 1 के पिता भैराराम पुत्र श्री रामचन्द्र के नाम की स्मालपेच पत्रावली संख्या 87/94 निर्णय दिनांक 22/12/1997 तलब की गई जो संलग्न पत्रावली की गई।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

प्रार्थीगण विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि अप्रार्थी ओमप्रकाश ने स्माल पेच आवंटन हेतू प्रार्थना पत्र अपने पिता भैराराम पुत्र श्री रामचन्द्र के नाम से पेश किया था प्रार्थना पत्र शपथ पत्र अप्रार्थी ने अपने हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया जो आवंटन नियमों के प्रावधानों से बाहर जाकर एवं विधि विरूद्ध प्रस्तुत हुआ। जैरवाद रकबा वाके चक 5 एस0एच0पी0डी0 बी में स्थित प0न0 72/341 कि0न0 21–22 की 2बीघा भुमि गैरमुमकिन जोहड पायतन दर्शाया हुआ है तहसीलदार की रिपोर्ट में उक्त जैरवाद रकबा को जोहड पायतन बताया गया इसके बावजुद तात्कालिन आवंटन अधिकारी ने इन तथ्यो की अनदेखी कर अप्रार्थी को फायदा पहुचाने के लिए स्माल पैच आवंटन किया गया जो राजस्थान काश्तकारी की धारा 16 के प्रावधानों के मुताबिक जोहड पायतन रकबा का आवंटन नही किया जा सकता है। जैरवाद रकबा जल के भराव, भंडारण तथा उपभोग में आने के लिए राज्य सरकार की तरफ से आरक्षित करबा है। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

राजस्थान विधि पत्रिका 1994 पेज 74–75

आवंटन के लिए आवेंदन पर प्रार्थी के हस्ताक्षर होना अत्यावश्यक है। बिना हस्ताक्षर आवेदन को आवेदन नही माना जा सकता। प्रार्थी को अवेदन प्रमाणित करना आवश्यक है ऐसा आवेदन जिस पर ना तो आवेदक के हस्ताक्षर है और ना ही प्रमाणीकरण पर किया गया आवंटन विरूद्ध एवं अवैधानिक है।

राजस्थान विधि पत्रिका 1994 पेज 74–75

आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुये अवैध तरीके अपनाकर केवल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुचानें की दृष्टि से किया गया आवंटन वैध नही ठहराया जा सकता चाहे ऐसा आवंटन अवैध है एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

अतं मे निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी न0 1 के पिता भैराराम पुत्र श्री रामचन्द्र का आवंटन निरस्त किया जावे।

अप्रार्थीग न0 1/2 के योग्य अभिभाषक ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्य आधारहीन, असत्य व अवैधानिक प्रस्तुत किये गये है। अप्रार्थी न0 1/2 के दादा भैराराम पुत्र श्री रामचन्द्र को स्मालपैच आवंटन तात्कालिन आवंटन अधिकारी ने उपनिवेशन के नियमों के तहत किया गया आवंटित रकबा वाके चक 5 एस0एच0पी0डी0 बी प0न0 72/341 कि0न0 21–22 की 2बीघा को आवंटन दिनांक 22/12/1997 किया गया जिसे आज 25वर्षो एवं खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार बताकर आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

.....3 पर लगातार

रवाद रकबा जोहड पायतन रिकार्ड दर्ज होने पर आवंटन की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व मान आवंटन अधिकारी, सूरतगढ ने दिनांक 24/08/1994 को तहसीलदार राजस्व सूरतगढ जोहड पायतन रकबा की भूमि का उपभोग वर्तमान में जोहड पायतन के लिए हो रहा है अथवा नही रिर्पोट मंगवाई गई। जो तहसीलदार ने जोहड पायतन रकबा पर स्पष्ट रिर्पोट आयी की जैरवाद रकबा जोहड पायतन के काम नही आता है। आवंटन अधिकारी सूरतगढ ने दिनांक 24/08/1994 से 22/12/1997 तक कार्यवाही पूर्ण होने पर उपनिवेशन अधि0 1975 के नियम 17 के तहत चार गुणा की बजाय आठ गुणा राशि पर आवंटन किया गया जिसकी समस्त किश्ते जमा होने तथा आवंटन नियमों की पालना करने के पश्चात् खातेदारी अधिकार जारी किये गये। चक 5 एस0एच0पी0डी0 बी प0न0 72/341 किला न0 21/22 के चारों तहफ सामान्य कमाण्ड रकबा है जिस पर अन्य काश्तकार नहर के पानी से सिचाई कर काश्त करते आ रहे है जैरवाद रकबा जोहड पायतन के काम नही आता है। आवंटन नियमों के तहत आवंटन किया गया है।

अन्त में अप्रार्थी न0 1/2 के अभिभाषक ने निवेदन किया कि जब मूल आवंटन पत्रावली में जोहड पायतन आवंटन किया गया था तो प्रार्थीगण धारा 11—14 राज0उप0 1954 के तहत प्रार्थना पत्र मे नही बताया कि अप्रार्थी ने किस तथ्य को छिपाकर आवंटन करवाया है तथा ऐसा कोई भी दस्तावेज पत्रावली मे प्रस्तुत नही किया जिससे अप्रार्थी ने आवंटन में दर्शित नही किया तथा प्रार्थीगण ने श्रीमान जी से ये तथ्य छुपाये की जैरवाद रकबा को रेफरेन्स भी प्रस्तुत कर रखा है जो श्रीमान न्यायालय में जैरकार है। जबकि राजस्थान उपनिवेशन अधि0 1954 की धारा 11— काश्तकार द्वारा गलत सुचना देना— यदि किसी व्यक्ति ने जिसे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किसी उपनिवेशन में काश्तकार के रूप में भूमि का कब्जा दे दिया गया है इस आश्य से या यह विश्वास करने का कारण रखते हुये गलत सूचना दी है कि राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी काश्तकार बनने का उसकी अर्हताओं के सम्बन्ध में इसके धोखा खा जाये, तो उसके सबंध मे यह समझा जायेगा कि उसके अपनी काश्तकारी की शर्तो को भंग किया है। इसके साथ अपने पक्ष के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये।

2009-10(SUPP) RRT Page 135

न्यायिक दृष्टान्त के मुताबिक जोहड पायतन की भूमि के आंवटन का प्रावधान है। अतः इस प्रकरण मे राजस्थान काश्तकारी अधि0 की धारा 16 को लागू नही किया जा सकता।

2016 RBJ 418(HC)

Allotment of land should not be cancelled, when allottee was cultivating the land for more then 30years.

2017 RBJ Page 27

उक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धान्त प्रतिपादित है।

After 26years allotment of land cannot be cancelled on technical grounds.

2018 RBJ Page 539 (HC)

खातेदारी अधिकार प्रदान करने के बाद आवंटन निरस्त नही किया जा सकता।

2014 RBJ Page 685

जब कि आवंटन/नियमन में किसी प्रकार का फ्राड या मिस रिप्रजेन्टेशन किया गया हो, जिसे प्रार्थी पक्ष द्वारा स्पष्ट नही किया गया है। यह सुस्थापित विधि सिद्धान्त है कि एक बार खातेदारी प्राप्त हो जाने के उपरान्त खातेदारी अधिकारों को निरस्त नही किया जा सकता है।

इस प्रकार प्रार्थीगण ने प्राथना पत्र में अकिंत तथ्यों की बाबत् कोई भी आधार युक्त दलील अथवा दस्तावेज साक्ष्य में प्रस्तुत नही किया है। अप्रार्थी न0 1/2 के पिता ने किसी प्रकार के तथ्य नही छिपाये मात्र रजिंश वंश की गई शिकायत निराधार होने के कारण निरस्त की जावे।

उभय पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं राजस्व रिर्पोट का अवलोकन किया गया। अधिनियम 1954 एव दोनों पक्षो की ओर से प्रस्तुत कानूनी नजीरों का विवेचन किया गया।

तिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

...........4 पर लगातार

न्यायालय के समक्ष उपलब्ध मूल आवंटन पत्रावली के ध्यान पुर्वक अवलोकन से यह ष्ट होता है कि अप्रार्थी न0 1 के पिता भैराराम पुत्र श्री रामचन्द को वाके चक 5 स0एच0पी0डी0 बी के प0न0 72/341 के किला न0 21—22की 2बीघा रकबा जोहड पायतन उपनिवेशन नियमों के तहत चार गुणा के स्थान पर तात्कालिन आवंटन अधिकारी ने आठ गुणा राशि पर पुर्ण प्रकिया अपनाते हुये आवंटन किया गया जिसमें जोहड पायतन रकबा का उपभोग जोहड पायतन मे हो रहा है अथवा नही की रिर्पोट मंगवाने के पश्चात् किया गया। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र धारा 11—14 उपनिवेशन अधि0 1954 मे ऐसा कोई भी तथ्य नही बताया कि अप्रार्थी के पिता को आंवटित रकबा मे किस तथ्य को छिपाकर आवंटन करवाया गया जब प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के समस्त तथ्य आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध है तो उन्हे छिपाया हुआ नही माना जा सकता। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उक्त प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नही होती है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो मेमाननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों मे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। आवंटन के क्रम से लेकर सनद के बाद दीर्घ समय के बाद तकनीकी आधार पर बिना किसी रिकार्ड एवं दस्तावेज के आवंटन निरस्त करना उचित नही है। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों को छिपाने का आरोप निराधार एवं रिकार्ड से परे है। उक्त विवेचन के आधार पर शिकायत प्रार्थना पत्र 11—14 उपनिवेशन अधि0 1954 खारिज किया जाता है। पत्रावली मे जारी स्थगन आदेश भी निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़